uploaded on 22/11/2016

SN 45

भारत सरकार BHARAT SARKAR

रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS

रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD

No. 99/RS(G)/709/1 Pt. **New Delhi, dated: 28.1.2016**

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/NDLS, RWP/Bela

Sub: Vendor registration/approval policy

1. In light of policy thrust of Govt. on **"Make in India",** an issue has been raised before Board about insisting on foreign firms for compulsorily establishing domestic manufacturing capability for the purpose of vendor registration/approval.

2. With a view to strengthen domestic manufacturing capability and to leverage foreign know how of firms desirous of doing business with Indian Railways, it has been decided that:-

2.1 For an item whose estimated annual procurement volume is more than Rs. 300 crores and which is likely to be required by Ministry of Railways on recurring basis in future, the following conditions will be incorporated in the conditions of vendor registration/approval:

(i) Foreign firms will be evaluated and registered as approved vendors [Part – I vendor where categorization is Part I & Part II] by vendor approving authority with the condition that within 3 years of vendor approval (or issue of this letter, whichever is later), they have to establish domestic manufacturing capability of the item for which they have applied for approval/are registered as an approved vendor.

(ii) At the end of 3 years from the date of registration (or issue of this letter, whichever is later), if it fails to get domestic manufacturing capability approved by vendor approving authority, the foreign firm may not be considered for the extension of its approval status nor will it be permitted to apply for vendor registration/approval for that item to any other vendor approving authority of Indian Railways.

(iii) The above will be applicable only for getting a vendor registered as an approved vendor. The restriction in para (i) and para (ii) above will not be applicable if a vendor is getting approved as a developmental source or Part II source (wherever vendor categorization is in Part I & Part II).

3. Vendor approving entity will modify their vendor approving/registration norms if they are at variance with above.

This is issued with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

Santosh Mittal

o/c **(Santosh Mittal)**
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No. 99/RS(G)/709/1 Pt. **New Delhi, dated: 28.1.2016**

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways

Asdd

for Financial Commissioner / Railways

No. 99/RS(G)/709/1 Pt. **New Delhi, dated: 28.1.2016**

1. COSs, CMEs, CEEs, CSTEs, All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDLS, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors–
   a) Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
   b) Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
   c) Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
   d) Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
   e) Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
   f) Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
3. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
4. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
5. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
6. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No. 99/RS(G)/709/1 Pt. **New Delhi, dated: 28.1.2016**

Copy to :

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

1. MR, MOS(R)
2. CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 99/आरएस(जी)/709/1पार्ट नई दिल्ली, दिनांक 28.1.2016

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण), कोर
महानिदेशक/अ.अ. एवं मा.सं./लखनऊ और भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी/वडोदरा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएमडब्ल्यू/पटियाला, डब्ल्यूपीओ/पटना, कॉफमो/नई दिल्ली, आरडब्ल्यूपी/बेला

विषय: विक्रेता पंजीकरण/अनुमोदन नीति

1. "मेक इन इण्डिया" से संबंधित सरकार के नीतिगत प्रयास के आलोक में विक्रेता पंजीकरण/अनुमोदन के उद्देश्य से घरेलू विनिर्माण क्षमता अनिवार्य रूप से स्थापित करने के लिए विदेशी फर्मों पर जोर डालने के बारे में बोर्ड के समक्ष एक मामला उठाया गया है।

2. घरेलू विनिर्माण क्षमता सुदृढ़ करने और भारतीय रेलों के साथ व्यवसाय करने की इच्छुक फर्मों की विदेशी जानकारी का लाभ उठाने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि:

2.1 किसी ऐसी मद जिसकी अनुमानित वार्षिक खरीद मात्रा 300 करोड़ रुपए से अधिक हो और जिसकी भविष्य में रेल मंत्रालय को बार-बार जरूरत पड़ने की संभावना हो, के लिए विक्रेता पंजीकरण/अनुमोदन की शर्तों में निम्नलिखित शर्तें शामिल की जाएंगी:

(i) विदेशी फर्मों का विक्रेता अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा इस शर्त पर मूल्यांकन किया जाएगा और अनुमोदित विक्रेता [जहां भाग I और भाग II कोटि है वहां भाग I विक्रेता] के रूप में पंजीकृत किया जाएगा कि विक्रेता अनुमोदन (या इस पत्र के जारी होने, जो भी बाद में हुआ हो) के 3 वर्षों के भीतर उन्हें उस मद जिसके लिए उन्होंने अनुमोदित विक्रेता के रूप में अनुमोदन करने के लिए आवेदन किया है/उन्हें अनुमोदित विक्रेता के रूप में पंजीकृत किया गया है, के लिए उन्हें घरेलू विनिर्माण क्षमता स्थापित करनी होगी।

(ii) पंजीकरण की तारीख (या इस पत्र के जारी होने, जो भी बाद में हुआ हो) से 3 वर्षों के अंत में यदि वह विक्रेता अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा घरेलू विनिर्माण क्षमता अनुमोदित कराने में विफल होता है तो विदेशी फर्म उसकी अनुमोदन स्थिति को आगे बढ़ाने पर विचार न किया जाए और न ही भारतीय रेलों के कोई अन्य विक्रेता अनुमोदन प्राधिकारी के लिए उस मद के लिए विक्रेता पंजीकरण/अनुमोदन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) उपर्युक्त केवल अनुमोदित विक्रेता के रूप में किसी विक्रेता को पंजीकृत करने के लिए लागू होगा। यदि कोई विक्रेता विभागीय साधन या भाग II साधन (जहां कहीं विक्रेता को भाग I और भाग II के रूप में कोटिबद्ध किया गया है) के रूप में अनुमोदित किया जाता है तो उपर्युक्त पैरा (i) और पैरा (ii) में अवरोध लागू नहीं होंगे।

3. यदि विक्रेता अनुमोदित करने वाली संस्था के विक्रेता अनुमोदन/पंजीकरण मानदण्ड उपर्युक्त से अलग हो तो वह अपने विक्रेता अनुमोदन/पंजीकरण मानदण्ड में संशोधन करेगी।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

अशोक

सन्तोष मित्तल
(संतोष मित्तल)
उप निदेशक, रेल भंडार (जी)-I
रेलवे बोर्ड

सं. 99/आरएस(जी)/709/1पार्ट नई दिल्ली, दिनांक 28.1.2016

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना, आरसीएफ/रायबरेली, कॉफमो, डीएमडब्ल्यू
3. एडीएआई(रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियां)
4. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें

अशोक

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 99/आरएस(जी)/709/1पार्ट नई दिल्ली, दिनांक 28.1.2016

1. सीओएस, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आरसीएफ/आरबीएल/एनडीएलएस, कॉफमो, कोर डब्ल्यूपीओ, आरडब्ल्यूपी/बेला।
2. निदेशक-
   - क. भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिंकदराबाद
   - ख. भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिज़ली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर
   - ग. भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक
   - घ. वरिष्ठ प्रो. (सामग्री प्रबंधन), एनएआईआर, वडोदरा
   - ड. भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे
   - च. भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
3. निदेशक, लोह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता
4. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., लखनऊ
5. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ
6. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुखाड़िया सर्किल, उदयपुर

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)

उप निदेशक, रेल भंडार (जी)-I

रेलवे बोर्ड

सं. 99/आरएस(जी)/709/1पार्ट **नई दिल्ली, दिनांक 28.1.2016**

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरफ, कमरा नं. 248 और एनएफआईआर, कमरा नं. 256-सी, रेल भवन
2. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, फ्रोआ, कमरा नं. 256-डी और एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)

उप निदेशक, रेल भंडार (जी)-I

रेलवे बोर्ड